राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका सं. 4206/2022

अश्वनी चौहान पुत्री श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी 33, देवी नगर विस्तार, तकिया की चौकी के पास, हरनाथपुरा, कलवार रोड, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य को प्रधान सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासकीय सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को इसके आयुक्त, राजस्थान सरकार, चिकित्सा शिक्षा भवन, पिंक स्क्वेर मॉल के समीप, गोविंद मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

3. अध्यक्ष कार्यालय, एनईईटी यूजी मेडिकल और डेंटल प्रवेश/परामर्श बोर्ड-2021, सरकारी डेंटल कॉलेज जयपुर, राजस्थान।

4. वरिष्ठ निदेशक, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी यूजी 2021) को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केंद्र-2, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली के माध्यम से।

5. केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को इसके सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, वेस्ट ब्लॉक-4, विंग Vii, आर के पुरम, नई दिल्ली-66 के माध्यम से।

6. जिला सैनिक कल्याण बोर्ड को जिला के कल्याण अधिकारी बाड़मेर, राजस्थान माध्यम से।

7. दिलशाद बानो पुत्री श्री इकराज नबी को अध्यक्ष कार्यालय, एनईईटी यूजी मेडिकल और डेंटल एडमिशन/काउंसलिंग बोर्ड-2021, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

8. पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग को इसके सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : श्री हिमांशु जैन, अधिवक्ता और
श्री ऋषि राज माहेश्वरी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी(गण) की ओर से: डा. वी.बी. शर्मा, एएजी के साथ

श्री हर्षल थोलिया, अधिवक्ता

सुश्री मंजीत कौर, अधिवक्ता

श्री मजहर हुसैन, अधिवक्ता

श्री विश्वास सैनी, अधिवक्ता

श्री एम.एस. राघव, अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौड़

आदेश

रिपोर्टेबल

27/04/2022

याचिकाकर्ता द्वारा शुरू में एनईईटी (यूजी), 2021 के तहत एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए 1% आरक्षण के उद्देश्य से प्राथमिकता-IV के तहत उसके मामले पर विचार करने का निर्देश देने के लिए तत्काल रिट याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता ने यह निर्देश भी मांगा कि उसे आवंटित प्राथमिकता-VI को कानून की नजर में अवैध और अनुचित घोषित किया जाए।

याचिकाकर्ता ने बाद में एक संशोधन आवेदन दायर किया और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के सचिव के माध्यम से केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा जारी मानक प्रक्रिया (एसओपी) में निर्धारित शर्त को चुनौती देने की अनुमति मांगी।

इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को संशोधन आवेदन दायर करने की अनुमति दी और इस प्रकार, संशोधित याचिका दायर की गई।

संशोधित रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने दिनांक 01.07.2020 के एसओपी के प्राथमिकता-IV (गैर-पात्रता खंड) के खंड-I को अवैध और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में गारंटीकृत समानता के अधिकार के विपरीत बताया है।

संक्षेप में, मामले का सार यह है कि याचिकाकर्ता के पिता ने 30.05.1987 से 31.05.2017 तक ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में भारतीय सेना में सेवा की थी और ओपी रक्षक (जम्मू-कश्मीर) में तैनाती के दौरान 23.03.1992 को ओपी रक्षक (जम्मू एवं कश्मीर) में राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ मुठभेड़ वह घायल हो गए थे और इसे 'बैटल कैजुअल्टी' घोषित किया गया।

प्रत्यर्थीगण द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा प्रक्रिया शुरू की गई थी और याचिकाकर्ता ने 'रक्षा कार्मिक के वार्ड' (इसके बाद 'डब्ल्यूडीपी' के रूप में पढ़ा गया) के रूप में अपना परीक्षा फॉर्म भरा और वह उक्त परीक्षा-एनईईटी यूजी-2021.में बैठी।

प्रत्यर्थीगण ने, बाद में, परिणाम घोषित किया और उन्होंने पुस्तिका में दी गई जानकारी के अनुसार, विभिन्न श्रेणी में पूर्व सैनिकों के लिए 1% सीटें आरक्षित करने के प्रावधान का भी उल्लेख किया।

याचिकाकर्ता ने डब्ल्यूडीपी, एक्स-S4 श्रेणी के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया और तदनुसार अधिकारियों-प्रतिवादियों ने दस्तावेज़ सत्यापन के उद्देश्य से उम्मीदवारों की सूची जारी की और याचिकाकर्ता का नाम इसमें क्रम संख्या 24 पर दिखाया गया था।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि काउंसलिंग प्रक्रिया प्रत्यर्थीगण द्वारा की गई थी और याचिकाकर्ता काउंसलिंग बोर्ड के सामने पेश हुई थी और प्राथमिकता-IV के तहत अपनी श्रेणी स्थापित करते हुए सभी प्रासंगिक दस्तावेज दिखाए थे।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा है कि पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए राउंड-I की काउंसलिंग की संयुक्त मेरिट सूची 22.01.2022 को जारी की गई थी और याचिकाकर्ता का नाम प्राथमिकता - IV श्रेणी के तहत क्रमांक 23 पर रखा गया था।

याचिकाकर्ता ने याचिका में आगे कहा कि बाद की सूची में, जो 26.01.2022 को प्रकाशित हुई थी, उसका नाम फिर से प्राथमिकता-IV के तहत क्रमांक 12 पर रखा गया था।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि एक **एकलपीठसिविल रिट याचिका संख्या 1508/2022 आयुष खेदर और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य** में इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी और इस न्यायालय ने 18.02.2022 को याचिका खारिज कर दी थी, क्योंकि न्यायालय को सूचित किया गया था कि काउंसलिंग बोर्ड ने नई काउंसलिंग आयोजित की है और संशोधित मेरिट सूची (डब्ल्यूडीपी) राउंड- I में, याचिकाकर्तागण को उनकी उचित श्रेणी दी गई थी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि बाद में जब प्रत्यर्थीगण ने पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार की, तो उसकी उम्मीदवारी को प्राथमिकता-IV में नहीं माना गया, बल्कि उसे प्राथमिकता-VI में माना गया और इस तरह याचिकाकर्ता को उसके नाम के अनुसार एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने से वंचित कर दिया गया क्योंकि उसका नाम मेरिट सूची में नहीं था.

याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत प्राथमिकता-IV के संबंध में है, जो एसओपी में रक्षा कर्मियों के विभिन्न बच्चों को प्रदान की गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषि राज माहेश्वरी ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 5 ने "सैन्य सेवा में विकलांग हुए और सैन्य सेवा के कारण विकलांग हुए और सैन्य सेवा के कारण नौकरी से बाहर हुए सैनिकों के बच्चों" को प्राथमिकता-IV प्रदान करते हुए भाग (i) में 'पात्र' करार माना है बशर्ते कि सभी सशस्त्र बल कार्मिक, जो सेवा शर्तों में विकलांगता के कारण आगे की सेवा के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाए गए थे और सेना नियम, 1954 की धारा

13(3)III(iii) के अनुसार सेवा से अमान्य कर दिए गए हैं, विकलांगता सेवा तत्व और विकलांगता तत्व से युक्त पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके बच्चे प्राथमिकता-IV के लिए पात्र हैं।

विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शर्त संख्या 9 के खंड-(II) के अनुसार, सभी सशस्त्र बल कार्मिक जो सेवा की परिस्थितियों में उत्पन्न हुई विकलांगता के कारण कुछ कर्तव्यों के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाए गए थे और सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा विकलांगता के कारण निम्न चिकित्सा श्रेणी (एलएमसी) के रूप में पदावनत करने के बाद सेवा में बनाए रखा गया है और बाद में सेना नियम के तहत सेवा से मुक्त कर दिया गया है, उन्हें प्राथमिकता-IV के लिए पात्र माना जाता है।

विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि वे व्यक्ति, जिन्हें खंड-(I) के अनुसार 'योग्य नहीं' ठहराया गया है, वे ऐसे व्यक्ति अर्थात सशस्त्र बल कार्मिक हैं, जो उनके नामांकन की शर्तों को पूरा करने या ऐसे चरण तक पहुंचने पर सेवा से सेवानिवृत्त/मुक्त हो गए हैं, जिस पर सेना नियम 13 3 (III)(i) के अनुसार डिस्चार्ज लागू किया जा सकता है, वे विकलांगता तत्व के पात्र तो हैं, लेकिन प्राथमिकता-IV के लिए पात्र नहीं हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिकारियों ने एसओपी जारी करते समय उन रक्षा कर्मियों की स्थितियों को ध्यान में नहीं रखा है, जो 'बैटल कैजुअल्टी' का सामना कर चुके हैं, लेकिन उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए सेवा करने के लिए कहा गया था परंतु बाद में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से मुक्त कर दिया गया लेकिन उन्हें प्राथमिकता-VI में रखा गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि प्रत्यर्थीगण ने विवादित एसओपी जारी करते समय 'रक्षा कार्मिकों के बच्चों' को लाभ से वंचित करने के लिए दो कृत्रिम वर्ग बनाए हैं और वर्तमान मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता के पिता ने सेवा में रहते हुए 'बैटल कैजुअल्टी' का सामना किया था और इस प्रकार उन्हें उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा को 'बैटल कैजुअल्टी' का श्रेय दिया गया था, और केवल सेवा में बने रहने के कारण उन्हें उनके बच्चे के लिए प्राथमिकता-IV के तहत लाभ का दावा करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यदि सेवा के दौरान दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्तियों को सेवा के हित में जारी रखा जाता है, तो सशस्त्र बल कर्मियों के बच्चों को लाभ/आरक्षण देने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। सेना में कार्यरत और बाद में सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों को उन व्यक्तियों की तुलना में लाभ नहीं मिलना चाहिए जो चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाए जाते हैं और सेना नियमों के अनुसार उन्हें विशेष रूप से सेवा से बाहर कर दिया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि उन व्यक्तियों की स्थिति, जिन्हें निचली चिकित्सा श्रेणी में रखा गया है और 'बैटल कैजुअल्टी' का सामना करना पड़ा है और अभी भी सेवा में बने हुए हैं, पृथक नहीं होनी चाहिए और उन्हें

प्राथमिकता-IV की तुलना में निचली श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए, जिसे अलग-अलग पात्र व्यक्तियों को निर्दिष्ट किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि रक्षा कर्मियों के विभिन्न बच्चों के लिए प्राथमिकता तय करते समय प्रत्यर्थीगण द्वारा किसी भी उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखा गया है।

विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि तथाकथित अंतर जो प्रत्यर्थीगण द्वारा उनके एसओपी में बनाया गया है, वह कृत्रिम अंतर है और समान रूप से स्थित व्यक्तियों के बीच इस तरह का कृत्रिम भेदभाव करने से प्रत्यर्थीगण द्वारा किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकेगी।

विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जो व्यक्ति सेना में अपनी सेवा प्रदान करते समय हताहत होने के बाद सेवा से मुक्त हो जाते हैं, उनका एक वर्ग ही होता है, और एक ही वर्ग के व्यक्तियों के बीच दो वर्ग बनाकर, प्रत्यर्थीगण ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने **डी.एस.नाकरा और अन्य बनाम भारत संघ, एआईआर 1983 एससी 130** में रिपोर्ट किया गया, के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा जताया है।

उक्त निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उत्तरदाता इस न्यायालय के समक्ष यह बताने में सक्षम नहीं हैं कि प्राथमिकता-IV और प्राथमिकता-VI के तहत रखे गए समान स्थिति वाले व्यक्तियों के बीच अंतर करने और उनके साथ अलग व्यवहार करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या रहा है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **के.जे.एस. बटर बनाम. भारत संघ और अन्य, 2011 (11) एससीसी 429** में रिपोर्ट किया गया, के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा जताया है।

विद्वान अधिवक्ता ने उक्त निर्णय के आधार पर तर्क दिया कि जिस व्यक्ति को अमान्य कर दिया गया है और स्थायी विकलांगता के लिए निचली चिकित्सा श्रेणी में छोड़ दिया गया है, उसके साथ सेना के रक्षा कर्मियों/पेंशन नियमों के अनुसार उसकी विकलांगता का आकलन करते हुए व्यवहार किया जाना चाहिए।

इसके विरोध मे, प्रत्यर्थी संख्या 5 की विद्वान अधिवक्ता सुश्री मंजीत कौर ने कहा कि शुरुआत में मेडिकल/व्यावसायिक/गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों द्वारा रक्षा कार्मिकों के बच्चों को आरक्षण/वरीयता प्रदान करने के लिए समय-समय पर अलग-अलग सरकारी आदेश जारी किए गए थे।

विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि दिनांक 01.07.2020 को एसओपी तैयार करते समय, भारत सरकार ने पहले जारी किए गए आदेशों को ध्यान में रखा है और प्राथमिकताओं को उचित तरीके से सुव्यवस्थित करने और उनकी व्याप्ति बढ़ाने के लिए, एसओपी जारी किया गया था।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सेना कर्मियों की विभिन्न श्रेणियों की पात्रता के अनुसार, विभिन्न व्यक्तियों की पात्रता और गैर-पात्रता का निर्णय लिया गया है।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान दिनांक 21.05.2018 के पत्र की ओर आकर्षित किया है, जो एसओपी जारी करने से पहले जारी किया गया था और विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि प्राथमिकता-I, II, III और IV उन रक्षा कार्मिकों के बच्चों को प्रदान की गई है जो जो कार्रवाई में मारे गए हैं, सेवा से बाहर कर दिए गए हैं, जिनकी सैन्य सेवा के कारण सेवा के दौरान मृत्यु हो गई है और ऐसे कार्मिकों के बच्चों को जो सेवा के दौरान विकलांग हुए हैं और सैन्य सेवा के कारण हुई विकलांगता के चलते सेवा से बाहर बाहर कर दिए गए हैं।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दिनांक 21.05.2018 के पत्र के अनुसार प्राथमिकता VI पूर्व-सैनिकों के बच्चों से संबंधित है, लेकिन, दिनांक 21.05.2018 के पत्र के माध्यम से जारी किए गए पहले के निर्देश उचित विवरण और पात्रता नहीं दे पा रहे थे, अतः एसओपी दिनांक 01.07.2020 जारी की जाने की आवश्यकता थी।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता रक्षा कार्मिक के उन बच्चों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकता है, जिन्हें प्राथमिकता-IV दी गई है।

विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में कुछ तथ्य निर्विवाद हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता के पिता ने सेना में अपनी पूरी सेवा प्रदान की है और उन्होंने 31.05.1987 से 31.05.2017 तक अपनी पूरी पेंशन अर्जित करते हुए काम किया है।

विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता के पिता को मार्च, 1992 में जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के नाम से जाने जाने वाले ऑपरेशन में 'बैटल कैजुअल्टी' का सामना करना पड़ा, लेकिन, याचिकाकर्ता के पिता को सेवा से बाहर नहीं किया गया और उनकी सेवाएं अधिकारियों के साथ जारी रहीं। और इस प्रकार, याचिकाकर्ता के पिता ने सेना में काम करते हुए अपना पूरा वेतन अर्जित किया और बाद में, विकलांगता तत्व के साथ पेंशन के लाभ के साथ सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद ही वे सेवानिवृत्त हुए।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने एसओपी को उचित ठहराते हुए यह कहा कि सेना अधिकारियों ने सेवा के दौरान रक्षा कर्मी की चिकित्सा स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखा है और उन सशस्त्र बल कर्मियों को जो विकलांगता के कारण चिकित्सकीय रूप से आगे की सेवाओं के लिए फिट पाए जाते हैं और वे विकलांगता पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता-IV के लिए पात्र माना गया है।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि ऐसे कुछ मामले हैं जहां सशस्त्र बल कर्मियों को सेवा के दौरान चिकित्सा विकलांगता का सामना करना पड़ा और उन्हें कुछ समय के लिए सेवा में रखा गया, और उनकी शारीरिक स्थिति के लिए

उपयुक्त अन्य नौकरियां दी गईं और बाद में, सेवा काल पूरा होने से पहले उन्हें सेवा से बाहर कर दिया गया, जिससे वे सेवामुक्त होने पर पूर्ण पेंशन के पात्र बन जाते हैं।

विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ऐसे सशस्त्र कार्मिक हैं जिन्हें बाद में कुछ कर्तव्यों के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वे कुछ समय के लिए काम करते हैं और सेना अधिकारी उन्हें हल्की नौकरी/कार्य या किसी अन्य उपयुक्त नौकरी पर समायोजित करने का इरादा रखते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत अमान्य नहीं किया जाता है, बल्कि बाद में सेवा से अयोग्य करार दिए जाने पर उन्हें सेवा से बाहर कर दिया जाता है, और इसी कारण इन लोगों के बच्चों को श्रेणी-IV में पात्र बनाकर उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि प्राथमिकता-IV में गैर-पात्रता खंड यह स्पष्ट करता है कि वे सेना कार्मिक जो सेवा से सेवानिवृत्त/मुक्त हो गए थे या उस चरण पर पहुँच गए थे जिस पर उन्हें सेना नियम 13(3)(III)(i) के अनुसार सेवामुक्त किया जाएगा और जो विकलांगता तत्व के पात्र होंगे, प्राथमिकता-IV के लिए पात्र नहीं हैं।

विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उक्त खंड, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी जा रही है, को किसी भी तरह से मनमाना खंड नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वे सभी सशस्त्र बल कार्मिक, जिन्होंने अपनी पूरी सेवा प्रदान की है और बाद में उन्हें सेवामुक्त कर दिया गया है और फिर भी उन्हें विकलांगता तत्व मिलता है, प्राथमिकता-IV के लिए पात्र नहीं हो सकते।

विद्वान अधिवक्ता ने यह कहा कि सशस्त्र बल कार्मिकों, जिन्होंने अपनी पूरी सेवा प्रदान की है, को ऐसी अपात्रता प्रदान करने का मूल उद्देश्य यह देखना है कि सशस्त्र बल कार्मिकों द्वारा प्रदान की गई सक्रिय सेवाओं के परिणामस्वरूप उन्हें पूर्ण वेतन का भुगतान होता है और उनके द्वारा अन्य सभी लाभ लिए जाते हैं।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि जिस विशिष्टता के कृत्रिम होने का दावा किया गया है वह स्थिति का सही वर्णन नहीं है और प्राधिकारियों ने अलग-अलग व्यक्तियों की पात्रता को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें सेवा से निर्गम प्रदान किया गया, अमान्य कर दिया गया है, आदि को अलग-अलग श्रेणियों में रखा है।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को आरक्षण देने के उद्देश्य से पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया गया है और प्रारंभिक समय में, उसे आरक्षण के उद्देश्य के लिए प्राथमिकता-IV दी गई थी, लेकिन, बाद में इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार, जब एसओपी का उचित तरीके से पालन किया जाना था, तो उसके परिणाम भी सामने आने थे और प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता के पिता की सेवाओं के विवरण पर विचार करने के बाद पाया कि वह प्राथमिकता-IV के लिए नहीं बल्कि प्राथमिकता-VI के अंतर्गत पात्र है और इस तरह, कार्यवाही

में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है.

प्रतिवादियों-राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री हर्षल थोलिया ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता सहित एमबीबीएस उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिए प्रत्यर्थीगण द्वारा जो प्रक्रिया संचालित की गया थी, वह प्रत्यर्थीगण द्वारा जारी एसओपी के अनुसार की जानी आवश्यक थी।

विद्वान अधिवक्ता ने यह कहा कि परामर्श लेते समय, सैनिक कल्याण बोर्ड के सदस्य उपस्थित थे और प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद, उन्होंने तदनुसार 'विभिन्न सशस्त्र कार्मिकों के बच्चों' को प्राथमिकता-VI आवंटित की।

विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राज्य-प्राधिकारियों ने केवल उस अधिकार का पालन किया है जो विभिन्न उम्मीदवारों को दिया गया है और इस तरह कोई अवैधता कारित नहीं की गई है।

मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

इस रिट याचिका में शामिल मुद्दा प्राथमिकता-IV में निर्धारित पात्रता शर्तों की वैधता के संबंध में है और यह कि क्या गैर-पात्रता की स्थिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है।

एसओपी दिनांक 01.07.2020 के प्रासंगिक खंडों को निम्नानुसार उद्धृत करना उचित होगा: -

> "चिकित्सा/व्यावसायिक/गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा सशस्त्र बल कार्मिकों के बच्चों को आरक्षण/वरीयता के लिए अंतर-प्राथमिकता के लिए **मानक संचालन प्रक्रिया**:-
>
> **9. प्राथमिकता-IV** सेवा में विकलांग हुए और सैन्य सेवा हुई विकलांगता के कारण सेवा से मुक्त किए गए कार्मिकों के बच्चे :-

<u>पात्र:-</u>

(i) सभी सशस्त्र बल कार्मिक जो सेवा शर्तों में विकलांगता के कारण आगे की सेवा के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाए गए हैं [जैसा कि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 1 (2) 97/आई/डी (पेन-सी) दिनांक 31 जनवरी 2001 (परिशिष्ट 'सी') के पैरा 4.1 की श्रेणी 'बी' और 'सी' और उसके बाद के संशोधनों में उल्लिखित है] और मेडिकल बोर्ड द्वारा अमान्य करार किए जाने के बाद सेना नियम 13 3 III (iii) के अनुसार आगे सेवा करने से अमान्य हो गए हैं और पैरा 7 (लगभग 'सी') के अनुसार सेवा तत्व और विकलांगता तत्व से युक्त विकलांगता

पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे प्राथमिकता-IV के लिए पात्र हैं।

(ii) ऐसे सभी सशस्त्र बल कार्मिक जो सेवा पारिस्थियों में हुई विकलांगता के कारण कुछ कर्तव्यों के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाए गए हैं, [जैसा कि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 1 (2) 97/आई/डी (पेन-सी) दिनांक 31 जनवरी 2001 (परिशिष्ट 'ग') के पैरा 4.1 की श्रेणी 'बी' 'सी' में और उसके बाद के संशोधनों में उल्लिखित है] और सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा विकलांगता के कारण (एलएमसी) के रूप में डाउनग्रेड किए जाने और बाद में सेना नियम के तहत अमान्य किए जाने के बाद सेवा से मुक्त कर दिए गए हैं:

(कक) 13 3 III (iii) (क) (I) – यूनिट में कोई शेल्टल्टर्ड नियुक्ति उपलब्ध नहीं (केवल एलएमसी मामले)

(कख) 13 3 III (v) – केवल एलएमसी आधार पर जो सैन्य सेवा के दौरान कारित हुआ हो अथवा उसके कारण आगे प्रभावित हुआ हो।

(कग) जो विकलांगता पेंशन प्राप्त कर रहे हैं जिसमें सेवा तत्व और विकलांगता तत्व भी शामिल है, प्राथमिकता-IV के लिए पात्र हैं।

(iii) सभी सशस्त्र बल कार्मिक जो नि:शक्तता मेडिकल बोर्ड के उपरांत सेना नियम 13 3 IV के अनुसार सेवा से बाहर कर दिए गए थे और उन्हें डीईएसडब्ल्यू, रक्षा मंत्रालय के पत्र 12/1/2005/डी (आरईएस) दिनांक 01 फरवरी 2006 (परिशिष्ट 'घ') के अनुसार मेडिकल/विकलांगता पेंशन और ईएसएम का दर्जा दिया गया है, प्राथमिकता-IV के लिए पात्र हैं।

<u>अपात्र:-</u>

डीईएसडब्ल्यू, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 6(1)/2017/डी (आरईएस.II) दिनांक 21 मई 2018 (परिशिष्ट 'क') के अनुसार, प्राथमिकता-IV (अर्थात सेवा के कारण हुई विकलांगता के कारण सेवा से बाहर कर दिए गए विकलांग कर्मियों के बच्चे) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र नहीं होना चाहिए, इसका उल्लेख नीचे किया गया है:-

(i) सभी सशस्त्र बल कार्मिक जो अपने नामांकन की शर्तों को पूरा करने पर सेवा से सेवानिवृत्त/मुक्त कर दिए गए थे या उस चरण पर पहुंच गए थे जिस पर उन्हें सेना नियम 13 3 III (I) के

अनुसार सेवामुक्त किया जा सकता था और वे पैरा 8 (परिशिष्ट 'ग ') के अनुसार विकलांगता तत्व के पात्र थे, प्राथमिकता-IV के लिए पात्र नहीं हैं।

(ii) सभी सशस्त्र बल कार्मिक जो केवल सेना सेवा की अवधि पूरी होने पर सेवा से सेवानिवृत्त/मुक्त कर दिए गए थे, क्योंकि सेना नियम 13 3 III (ii) के अनुसार रिजर्व में कोई रिक्ति नहीं थी, वे प्राथमिकता-IV के लिए पात्र नहीं हैं।

(iii) सभी सशस्त्र बल कार्मिक जो सेना नियम 13 3 III (iv) के अनुसार अपने नामांकन की शर्तों को पूरा करने से पहले अपने स्वयं के अनुरोध पर सेवा से सेवानिवृत्त/मुक्त कर दिए गए थे, प्राथमिकता-IV के लिए पात्र नहीं हैं।

(iv) सभी सशस्त्र बल कार्मिक जो किसी भी परिस्थिति में सेवा से सेवानिवृत्त/मुक्त किए गए थे, जिसके लिए सैन्य सेवा जिम्मेदार नहीं थी और न ही उसके कारण उनकी विकलांगता बढ़ी थी (एनएएनए) प्राथमिकता-IV के लिए पात्र नहीं होंगे।

इस न्यायालय ने प्राथमिकता-IV में उम्मीदवारों की पात्रता पर गौर करने पर पाया कि श्रेणी-(I) में वे सभी सशस्त्र बल कार्मिक शामिल हैं जो सेवा में होने वाली विकलांगता के कारण आगे की सेवा के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य हैं और सेवा से बाहर कर दिए गए हैं और विकलांगता पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें पात्र पाया गया है।

उक्त खंड को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे सशस्त्र कार्मिक हैं जिन्हें आगे की सेवा के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया है और मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी विकलांगता के बारे में ऐसी रिपोर्ट देने के बाद उन्हें अमान्य कर दिया जाना आवश्यक है।

इस न्यायालय ने प्राथमिकता-IV में पात्रता के खंड-(II) को पढ़ने पर पाया कि ऐसे सशस्त्र बल कार्मिक हैं जो सेवा में हुई विकलांगता के कारण कुछ कर्तव्यों के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाए जाते हैं और सक्षम चिकित्सा अधिकारियों द्वारा विकलांगता मूल्यांकन किए जाने के बाद उन्हें निचली चिकित्सा श्रेणी (एलएमसी) के रूप में पदावनत किए जाने के बाद भी उन्हें सेवा में बनाए रखा जाता है और उन्हें सेना नियमों के तहत सेवा से निर्दिष्ट रूप से अमान्य कर दिया जाता है।

उक्त खंड यह स्पष्ट करता है कि ऐसे सशस्त्र कार्मिक हैं, जो कुछ कर्तव्यों के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य हैं, लेकिन फिर भी वे नौकरी पर बने रह सकते हैं और अधिकारी समय-समय पर उनकी चिकित्सा स्थिति का आकलन करते हैं और उनकी चिकित्सा स्थिति के आकलन के बाद उन्हें निम्न चिकित्सा श्रेणी में नौकरी पर रखा जाता है और यदि वे सेवा में बने रहने के लिए उपयुक्त/योग्य नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हें सेवा से बाहर कर दिया जाता है।

उपरोक्त दो शर्तें यह स्पष्ट करती हैं कि सशस्त्र बल के जवान अपनी पूरी सेवा प्रदान नहीं करते हैं और उन्हें अमान्य कर दिया जाता है और इस तरह वे अपनी पूरी अवधि के लिए सेना में काम करने से वंचित हो जाते हैं और इस तरह उन्हें अपना वेतन आदि भी नहीं मिलता है क्योंकि उनकी विकलांगता के कारण उनका कार्यकाल छोटा हो गया है और वे सेना में काम करने के लिए भी अयोग्य हैं।

यह न्यायालय, प्राथमिकता-IV में प्रदान की गई गैर-पात्रता की शर्त को पढ़ने पर पाता है कि सभी सशस्त्र बल कर्मी जो सेवा से सेवानिवृत्त/मुक्त हो चुके हैं या उस स्तर पर पहुंच गए हैं जिस पर सेना के नियमों के अनुसार सेवामुक्त किया जा सकता है, वे प्राथमिकता-IV के लिए पात्र नहीं हैं।

इस न्यायालय ने पाया कि केवल ऐसे सशस्त्र बल कार्मिक जिन्होंने अपनी पूरी सेवा/पूर्ण कार्यकाल पूरा कर लिया है और उन्हें सेना नियमों के अनुसार सेवामुक्त कर दिया गया है, उन्हें प्राथमिकता-IV के लिए अयोग्य ठहराया गया है।

इस न्यायालय ने पाया कि केवल ऐसे सशस्त्र बल कार्मिक जिन्होंने अपनी पूरी सेवा/पूर्ण कार्यकाल पूरा कर लिया है और उन्हें सेना नियमों के अनुसार सेवामुक्त कर दिया गया है, उन्हें प्राथमिकता-IV के लिए अयोग्य ठहराया गया है।

इस न्यायालय का मानना है कि सेना में पूर्ण सेवा पूरी करने और सेवानिवृत्ति प्राप्त करने से ऐसे व्यक्तियों को उन व्यक्तियों के साथ समानता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, जिन्हें उनके पूर्ण कार्यकाल के पूरा होने से पहले अमान्य कर दिया गया है।

यह न्यायालय पाता है कि प्राथमिकता-IV की पात्रता के लिए व्यक्तियों की दो अलग-अलग श्रेणियां प्रदान करना एक तर्कसंगत सिद्धांत है।

यह न्यायालय पाता है कि जिन व्यक्तियों ने अपनी पूरी सेवा प्रदान नहीं की है और वे चिकित्सकीय रूप से अयोग्य हैं, वे आगे अपनी सेवा नहीं दे सकते हैं या जो व्यक्ति चिकित्सकीय रूप से अयोग्य हैं, उन्होंने कुछ समय तक सेना में काम किया और बाद में उनके पूर्ण कार्यकाल के पूरा होने से पहले, उन्हें अमान्य कर दिया गया है, तो उन व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी पूरी सेवा प्रदान की है और जिन व्यक्तियों को अपनी पूरी सेवा प्रदान करने की अनुमति नहीं है, के बीच कोई तुलना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलील थी कि याचिकाकर्ता के पिता को 'बैटल कैजुअल्टी' का सामना करना पड़ा है और उन्हें लोअर मेडिकल श्रेणी (एलएमसी) में नियुक्ति के कारण भी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन सेना के हित में उन्हें सेवा में जारी रखा गया था, और इस वजह से याचिकाकर्ता को प्राथमिकता-IV का लाभ पाने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, इस न्यायालय द्वारा यह कहना पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता के मामले को उसकी पात्रता के अनुसार प्राथमिकता-VI में माना गया है।

यह न्यायालय याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील को स्वीकार करने से हिचकिचा रहा है कि जिन सशस्त्र कार्मिकों को पहले ही सेवा से बाहर कर दिया गया है और जिन व्यक्तियों को पूर्ण अवधि तक सेवा में जारी रखा गया है या जारी रखने के लिए कहा गया है, उन्हें समान लाभ/श्रेणी दी जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की यह दलील कि सशस्त्र कार्मिकों को यह लाभ प्रदान करने में प्रतिवादियों द्वारा दो कृत्रिम वर्ग बनाए गए हैं, इस न्यायालय ने पाया कि उन व्यक्तियों को अलग श्रेणियां प्रदान करने का एक कारण है जो अमान्य होने के कारण सवा से बाहर हो गए हैं और जिन्होंने सेना में अपनी पूरी सेवा पूरी कर ली है और इस तरह अलग प्राथमिकता प्रदान करने के कारण को किसी भी तरह से मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

इस न्यायालय का मानना है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 "कानून के समक्ष समानता" या "कानूनों के समान संरक्षण" का अधिकार देता है। इस प्रकार, यह समान परिस्थितियों में, प्रदत्त विशेषाधिकारों और लगाए गए दायित्वों दोनों में, समान व्यवहार का अधिकार देता है।

यह न्यायालय आगे पाता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 वर्ग विधान पर रोक लगाता है; यह विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से विधायिका द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेनदेन के उचित वर्गीकरण पर रोक नहीं लगाता है।

यह न्यायालय आगे पाता है कि वर्गीकरण को उचित होने के लिए दो परीक्षणों को पूरा करना होगा; (i) यह कृत्रिम, मनमाना या टालमटोल करने वाला नहीं होना चाहिए। यह एक समझदार अंतर, कुछ वास्तविक और पर्याप्त अंतर पर आधारित होना चाहिए, जो वर्ग में एक साथ समूहित व्यक्तियों या चीजों को इससे बाहर छोड़े गए अन्य लोगों से अलग करता है। (ii) वर्गीकरण के आधार के रूप में अपनाए गए अंतर का उस वस्तु के साथ तर्कसंगत या उचित संबंध होना चाहिए जिसे प्रश्नगत संविधि द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।

बिनॉय विश्वम बनाम भारत संघ और अन्य (2017) 7 एससीसी 59 में रिपोर्ट किया गया, के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदान किए गए उचित वर्गीकरण के सिद्धांत की व्याख्या की गई है।

बिनॉय विश्वम बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा.) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ को यहां उद्धृत किया गया है:-

> "100. अनुच्छेद 14, जो मौलिक अधिकार के रूप में समानता के सिद्धांत को स्थापित करता है, आदेश देता है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रकार, यह समान परिस्थितियों में, प्रदत्त विशेषाधिकारों और लगाए गए दायित्वों दोनों में, समान व्यवहार का अधिकार

देता है। श्री श्रीनिवास थिएटर और अन्य बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य के मामले में इस न्यायालय ने व्याख्या की कि दो अभिव्यक्तियाँ 'कानून के समक्ष समानता' और 'कानून की समान सुरक्षा' का एक ही मतलब नहीं है, भले ही उनके बीच बहुत कुछ समान हो। "कानून के समक्ष समानता" एक गतिशील अवधारणा है जिसके कई पहलू हैं। एक पहलू यह है कि कोई विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति या वर्ग नहीं होगा और यह कि वह कानून से ऊपर नहीं होगा। दूसरा पहलू है "कानून की मशीनरी के माध्यम से, एक अधिक समान समाज स्थापित करने का राज्य पर दायित्व... क्योंकि, कानून के समक्ष समानता केवल एक समान समाज में ही सार्थक रूप से समर्पित की जा सकती है..."। न्यायालय ने आगे कहा कि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का प्रावधान करता है। लेकिन तथ्य यह है कि सभी व्यक्ति स्वभाव, उपलब्धि या परिस्थितियों से समान नहीं हैं, और इसलिए, कानून के समक्ष यांत्रिक समानता के परिणामस्वरूप अन्याय हो सकता है। इस प्रकार, कानून के समान संरक्षण से इनकार के खिलाफ गारंटी का मतलब यह नहीं है कि परिस्थितियों या स्थितियों में अंतर के बावजूद कानून के समान नियम सभी व्यक्तियों पर लागू किए जाने चाहिए (चिरंजीत लाल चौधरी बनाम भारत संघ और अन्य देखें) .)

101. विभिन्न वर्गों या वर्गों के लोगों की अलग-अलग ज़रूरतों के लिए विभेदक और अलग उपचार की आवश्यकता होती है। विधायिका को अनंत प्रकार के मानवीय संबंधों से उत्पन्न होने वाली विविध समस्याओं से निपटना आवश्यक है। इसलिए, इसमें आवश्यक रूप से विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कानून बनाने की शक्ति होनी चाहिए और, उस उद्देश्य के लिए, उसके पास उन व्यक्तियों और चीजों को अलग करने, चुनने और वर्गीकृत करने की शक्ति होनी चाहिए जिन पर इसके कानून लागू होते हैं। इस प्रकार, कानून की समानता के सिद्धांत का अर्थ यह नहीं है कि एक ही कानून सभी पर लागू होना चाहिए, बल्कि यह है कि एक कानून को एक वर्ग के सभी लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए; कि समान परिस्थितियों में व्यवहार में समानता होनी चाहिए। इसका अर्थ है "समानों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और असमानों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। एक जैसों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।"

102. इसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान की मनाही करता है; यह विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से विधायिका द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेनदेन के उचित वर्गीकरण पर रोक नहीं लगाता है। वर्गीकरण को उचित होने के लिए निम्नलिखित दो परीक्षणों को पूरा करना चाहिए:

102.1. यह मनमाना, कृत्रिम या टालमटोल वाला नहीं होना चाहिए। यह एक युक्तियुक्त अंतर, कुछ वास्तविक और पर्याप्त विशिष्टता पर आधारित होना चाहिए, जो वर्ग में एक साथ समूहित व्यक्तियों या वस्तुओं को इससे बाहर छोड़े गए अन्य लोगों से अलग करता है।

102.2. वर्गीकरण के आधार के रूप में अपनाए गए विभेदीकरण का संबंधित क़ानून द्वारा हासिल की जाने वाले प्रतिलाभ के साथ तर्कसंगत या उचित संबंध होना चाहिए।

103. इस प्रकार, अनुच्छेद 14 अपने दायरे और विस्तार में दो पहलुओं को शामिल करता है, अर्थात, यह उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है जो विवेकशील अंतर पर आधारित है और समाज की व्यावहारिक आवश्यकताओं को समायोजित करता है और अंतर का इच्छित वस्तुओं के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। इसके अलावा, यह किसी भी प्रकार की मनमानी की अनुमति नहीं देता है और व्यवहार की निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करता है। यह हमारे संविधान की मूल न्यायपीठ, न्याय का स्रोत है। विभेदक व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है और यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन केवल तभी करता है जब कोई उचित आधार नहीं होता है और यह तय करने के लिए कई परीक्षण होते हैं कि कोई वर्गीकरण उचित है या नहीं और परीक्षणों में से एक यह होगा कि क्या यह आधुनिक समाज के कामकाज के लिए अनुकूल है।

डी.**एस.नाकारा और अन्य बनाम भारत संघ (सुप्रा.)** के मामले में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रखी गई निर्भरता के संबंध में इस न्यायालय ने पाया कि उच्चतम न्यायालय कट-ऑफ तारीख पर विचार कर रहा था, जो कर्मचारियों को पेंशन देने के उद्देश्य से निर्धारित की गई थी और उच्चतम न्यायालय ने पाया कि अधिकारियों द्वारा पेंशन देने के लिए ऐसी तारीख तय करने के लिए किसी आधार के बिना इसके लिए कोई भी तारीख नहीं चुनी जा सकती थी और इस तरह उच्चतम न्यायालय ने माना है कि मनमाने तरीके से तारीख तय करना उचित नहीं है और यह अवैध है। उक्त निर्णय याचिकाकर्ता के विद्वान

अधिवक्ता के लिए बहुत कम सहायता वाला है।

के.जे.एस. बटर बनाम. भारत संघ और अन्य. (सुप्रा.) के मामले में दी गई निर्भरता याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलील के समर्थन में कि प्राधिकारी उन दो श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच अंतर नहीं कर सकते हैं जो सेवा में रहते हुए विकलांगता का सामना कर चुके हैं या विकलांगता के कारण अमान्य हो गए हैं, उक्त निर्णय के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुद्दा एक ऐसे व्यक्ति के संबंध में पेंशन देने से संबंधित था, जो स्थायी विकलांगता से पीड़ित था और मेडिकल बोर्ड द्वारा उसका उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था। उक्त निर्णय याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के लिए बहुत कम सहायता वाला है।

तदनुसार, इस न्यायालय ने पाया कि याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

(अशोक कुमार गौड़),न्यायमूर्ति

Monika/1

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।